न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:–406/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/406)

1. राधेश्याम पुत्र श्री छोटूराम जाति बैरवा।
2. महावीर पुत्र श्री छोटूराम जाति बैरवा।

दोनों निवासी अर्जुनपुरा, ग्रामपंचायत पड़ांगा तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर।
2. पटवार हल्का पड़ांगा तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.12.2022 राजस्व वाद संख्या 118/2022

उपस्थित:–

1. श्री, भीयाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक:– 06.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के द्वारा प्रकरण संख्या 118/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी,भिनाय के न्यायालय में विरूद्ध प्रतिअपीलांटगण–रेस्पाडेंट्स अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलांट की कब्जाशुदा आराजीयात ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का पड़ांगा भू–अभिलेख निरीक्षक सिंगावल जिला अजमेर में अवस्थित हैं। जो कि अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत 2073–2076 में ग्राम अर्जुनपुरा के खाता संख्या 01 के खसरा नम्बर 85 कुल रकबा 10.50 में से 2.40 है0 पर अपीलांट व उसका परिवार पिछले करीबन 30 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त है और उक्त आराजी पर परिवार का लालन पालन करने के लिए फसल की काश्त करते है। और उक्त आराजी को बंजर से कृषि योग्य बनाया और उक्त आराजी में खाद मिट्टी डालकर रेतिली आराजी से ऊर्वरक यानि काश्त काबिल बनाया और उक्त आराजी की सुरक्षा व्यवस्था हेतु मेढ़ व बाड़ लगाई। अपीलांट

Scanned with CamScanner

की उक्त आराजी कए चक के रूप में विद्यमान है। उक्त आराजी को अपीलांट वर्षों दराज से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, इसलिए अपीलांट का लंबे समय से काबिज काश्त होने से खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने का वाद विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलांट ने वाद–पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत करीब–करीब उन्हीं कथनों के साथ प्रस्तुत किया जो कथन वाद पत्र में अंकित किए गए है। अंत में अपीलांट ने प्रार्थना की कि वाद में वर्णित आराजी में अपीलांट का 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त होने से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तक विवादित आराजीयात से अपीलांट के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी से रेस्पोडेंटस को पाबंद फरमाया जाकर वाद वर्णित भूमि को अपीलांट को बेदखल नहीं करे और उनके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। उपखण्ड अधिकारी,भिनाय जिला अजमेर ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अपने आदेश दिनांक 12.12.2022 से दर्ज रजिस्टर कर लिया लेकिन अपीलांट अभिभाषक के निवेदन पर विचारणीय न्यायालय ने अपीलांट अभिभाषक के निवेदन को दरकिनार कर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को बिना कोई कारण अकित किए केवल मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए। अपीलांट के स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जिससे अपीलांट के पास न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के आदेश दिनांक 12.12.2022 जो कि स्थगन पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया। अतः अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के द्वारा प्रकरण संख्या 118/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत यह प्रावधान दिए गए है कि जहां विवादित आराजीयात के संदर्भ में कोई वाद विचाराधीन है तो वाद को दर्ज करने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो उपरोक्त प्रार्थना पत्र के अंतर्गत मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने का आदेश पारित करना न्यायालय का कर्तव्य है। जिससे अन्य कार्यवाहियां ना बढ़े। ऐसी स्थिति में जो आदेश उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने जारी किया है वह न्याय की श्रेणी में नहीं आकर काबिल निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि यदि कोई पक्षकार उनके न्यायालय में किसी भी प्रकार का प्रकरण का उचित–अनुचित आदेश पारित करना चाहिए जैसा कि 2011 आरआरटी पार्ट 1 पेज 152 में प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को उल्लेखित करते हुए आदेश पारित किया जिसकी विचारण न्यायालय ने प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना की है एवं आरबीजे 1994 पेज 24 पर राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जहां किसी प्रकरण को न्यायालय विचारणार्थ ग्रहण कर लेता है वहां पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित करना न्यायालय का कर्तव्य

Scanned with CamScanner

है। अपीलांट जो कि अपीलाधीन आराजीयात पर काबिज काश्त चली
आ रही है तथा अपीलांट गरीब अनपढ़ काश्तकार है तथा रेस्पोडेंटस
इसका नाजायज फायदा उठाकर अपीलांट की 30 वर्ष से अधिक समय
की कब्जा व काश्तकारी की आराजीयात को बिना नियमन/आवंटन
करवाए बेदखल कर अन्यत्र दुसरे व्यक्तियों को आवंटन/नियमन करने
आमादा हो रहे है। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ
न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र
को बिना कोई कारण अंकित किए केवल मात्र नोटिस जारी किए जाने
के आदेश प्रदान कर दिए जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति कारित
हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सभी तथ्यों को
नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में अंतरिम
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर रेस्पोडेंटस को केवल नोटिस जारी
करने का आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त सभी दस्तावेजों को नजर
अंदाज कर तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत
अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का समुचित
आदेश प्रदान नहीं कर विधिक त्रुटि की है। अतः माननीय न्यायालय से
अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के द्वारा प्रकरण संख्या
118/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 को दुरूस्त फरमाया
जाकर ताफैसला मूल वाद रेस्पोडेन्टस को अपीलांट के कब्जेकाश्त में
दखअंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, अवैधानिक रूप से जबरन
बेदखल नहीं करें तथा दुसरे व्यक्तियों को आवंटन/नियमन नहीं करें
तथा मौके व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से
जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय0 ने दिनांक 12.12.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश होने पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए है जो एक विधिक प्रक्रिया है ना कि अंतिम आदेश। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जो संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत दिनांक 12.12.2022 को पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को को नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.1.2023 नियत की है । विचारण न्यायालय का उक्त आदेश एक विधिक प्रक्रिया है, ना कि अंतिम आदेश। विचारण न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की है जो अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश गई है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को ही करना है इसलिए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.

Scanned with CamScanner

काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर 60 दिवस में निरतारण करें।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर 60 दिवस में निरतारण करें। अपीलांट स्वयं अधीनरथ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की प्रति अधीनरथ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8 निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर